भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3103
(दिनांक 19.03.2025 को उत्त्र देने के लिए)

यूट्यूब पर अश्लील सामग्री का विनियमन

3103. श्री जय प्रकाशः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विशेषकर यूट्यूब पर अश्लील सामग्री के विनियमन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वकालत के बाद ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (ओटीटी) प्लेटफार्मों और सोशल मीडिया के कुछ प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित अश्लील , पोर्नोग्राफिक और अश्लील सामग्री के कथित प्रसार के संबंध में संसद सदस्यों , वैधानिक संगठनों के प्रतिनिधियों और सार्वजनिक शिकायतों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) और (ख): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम , 2000 के अंतर्गत 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) अधिसूचित किए हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित इन नियमों के भाग- III में ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रकाशक के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित नहीं करें , जो वर्तमान में लागू कानून द्वारा निषिद्ध हो और नियमों की अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशानिर्देशों के आधार पर सामग्री का आयु आधारित स्व-वर्गीकरण 5 श्रेणियों में करना होता है।

इसके अलावा आईटी अधिनियम , 2000 की धारा 79(3)(ख) में उपयुक्त सरकारों द्वारा गैर-कानूनी कार्य या सामग्री के बारे में मध्यस्थों को ऐसी सामग्री तक पहुंच को हटाने/अक्षम करने के लिए अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है। ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील सामग्री के संबंध में, सरकार मौजूदा सांविधिक ढांचे के तहत ऐसी सामग्री के विरूद्ध कार्रवाई करती है।

इस संबंध में मंत्रालय ने , ओटीटी प्लेटफार्मों और ओटीटी प्लेटफार्मों के स्व-विनियामक निकायों को उनके प्लेटफार्मों पर सामग्री को प्रसारित करते समय भारतीय कानूनों और आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 19.02.2025 को एक एडवाइजरी भी जारी की है।

****